श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

4 फरवरी 1988

एस० ओ० 767, दिनांक 22 जुलाई 1988—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नियोजन सेवा में नियुक्ति, व्यक्तियों की भर्त्ती और सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्न नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली "बिहार नियोजन सेवा नियमावली, 1987" कहलायेगी।
(2) यह नियमावली उस तिथि से लागू होगी जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित की जायेगी।

2. परिभाषाएं।—जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में—

(1) "आयोग" से तात्पर्य है बिहार लोक सेवा आयोग,
(2) "सरकार" से तात्पर्य है बिहार राज्य सरकार,
(3) "राज्यपाल" से तात्पर्य है बिहार-राज्यपाल,
(4) "सेवा का सदस्य" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस सेवा के किसी पद पर मौलिक या अस्थायी रूप से इस नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत की गयी हो; इसमें नियम 4 के खंड (1) में उल्लिखित किसी पद पर पहले से नियुक्त किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, और
(5) "सेवा" से तात्पर्य है बिहार नियोजन सेवा।

3. प्रास्थिति (स्टेटस)—बिहार नियोजन सेवा राज्य सेवा होगी।

4. सम्वर्ग —(1) इस सेवा में निम्नलिखित पद रहेंगे :—

(क) संयुक्त निदेशक (नियोजन),
(ख) उप-निदेशक (नियोजन),
(ग) सहायक निदेशक (नियोजन);
(घ) जिला नियोजन पदाधिकारी।नियोजन पदाधिकारी,
(ङ) ऐसे अन्य पद जो नियोजन सेवा के अन्तर्गत समय-समय पर सरकार द्वारा सृजित किये जायेंगे।

(2) सरकार सेवा की प्रत्येक कोटि में सृजित होनेवाले पदों की संख्या को निर्धारित करेगी तथा सेवा में अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी अथवा किसी भी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी, जिसके लिये इस सेवा का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

भाग 2—भर्त्ती।

5. भर्त्ती का श्रोत।—इस सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति—

(क) इस नियमावली के भाग 3 के नियमों के अनुसार आयोग द्वारा ली जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा और/या
(ख) इस नियमावली के भाग 4 के नियमों के अनुसार सरकारी सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा की जायेगी।

6. रिक्तियों का निर्धारण।—सरकार प्रतिवर्ष निर्णय करेगी कि सेवा की विभिन्न कोटियों में उस वर्ष सीधी भर्त्ती और/या प्रोन्नति द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या कितनी होगी :
परन्तु संयुक्त निदेशक (नियोजन), उप-निदेशक (नियोजन) और सहायक निदेशक (नियोजन) की सभी रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। यदि प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध नहीं रहें तो इनमें से कोई भी पद राज्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अस्थायी रूप से भरा जा सकेगा :
परन्तु यह और कि जिला नियोजन पदाधिकारी।नियोजन पदाधिकारी की सभी रिक्तियां प्रोन्नति और सीधी भर्त्ती द्वारा 25:75 के अनुपात में भरी जायेंगी।

भाग 3—सीधी भर्त्ती।

7. आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा।—सरकार प्रतिवर्ष नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा की प्रत्येक कोटि में प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन आयोग करेगा और शैक्षणिक योग्यताएं, उम्र-सीमा आदि वही रहेंगी जो राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। इसके लिये न्यूनतम उम्र-सीमा 22 (बाईस) वर्ष एवं अधिकतम उम्र-सीमा 30 (तीस) वर्ष निर्धारित है।

8. सेवा में नियुक्ति।—नियम 7 के अन्तर्गत आयोग जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी उनकी नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सरकार द्वारा ऐसी जांच, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के बाद किया जायेगा जो लोक सेवा में नियुक्ति हेतु किसी उम्मीदवार के सभी प्रकार से उपयुक्त पाये जाने के लिए आवश्यक समझे जायेंगे। किन्तु ऐसी नियुक्ति अनिवार्य रूप से आयोग द्वारा अनुशंसित वरीयता-क्रम के अनुरूप ही की जायेगी और किसी उम्मीदवार को तबतक नहीं छोड़ा जायेगा जबतक कि उसके विरुद्ध उसे लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार देने का कोई ठोस आधार न हो।

भाग 4—प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

9. (क) इस सेवा में विभिन्न कोटि के पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन इस नियमावली के अधीन ऐसी प्रोन्नति के योग्य व्यक्तियों के बीच से वरीयता के आधार पर किया जायेगा किन्तु जो अयोग्य हैं, उन्हें छोड़ दिया जायेगा। उक्त पद पर आयोग के साथ परामर्श करने के उपरान्त ही प्रोन्नति दी जायेगी।

(ख) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियोजन पक्ष में, मौलिक रूप में या अन्यथा निम्नलिखित अर्हता रखनेवाले अराजपत्रित व्यक्ति श्रेणी-2 (जिला नियोजन पदाधिकारी।नियोजन पदाधिकारी) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे :—

(1) कनीय नियोजन पदाधिकारी	कनीय नियोजन पदाधिकारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा।
(2) शोध सहायक (3) तकनीकी सहायक (4) सहायक (प्रवर कोटि) (5) अधिमानी प्रवर कोटि (उच्चवर्गीय लिपिक) (6) व्यावसायिक विश्लेषक	अपने-अपने पद पर कम-से-कम 3 वर्ष की सेवा तथा नियोजन पक्ष में कम-से-कम 10 वर्षों की सेवा।

10. जिला नियोजन पदाधिकारी।नियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे। सहायक निदेशक (नियोजन) के पदधारक उप-निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे तथा उप-निदेशक (नियोजन) के पदधारक संयुक्त निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

11. संयुक्त निदेशक (नियोजन) एवं उप-निदेशक (नियोजन) के पद प्रवरण पद (सेलेक्शन पोस्ट) होंगे तथा इन पदों पर प्रोन्नति हेतु उम्मीदवारों की पात्रता पर मुख्य रूप से उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी सम्वर्गीय वरीयता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा।

12. प्रोन्नति होने पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण।—सेवा के किसी पदाधिकारी को निम्नतर कोटि से उच्चतर कोटि में मौलिक या अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति होने पर उनका वेतन उस समय लागू सरकारी नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

भाग 5—सेवा की शर्त्तें।

13. परिवीक्षा-अवधि।—(क) सेवा की मौलिक रिक्तियों पर की जानेवाली सभी नियुक्तियां, चाहे वे सीधी भर्त्ती द्वारा की जाय या प्रोन्नति द्वारा, परिवीक्षा पर की जायेंगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्षों की होगी।

(ख) परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक पदाधिकारी से सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षाओं या जांच परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(ग) यदि परिवीक्षा की अवधि में किसी पदाधिकारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतोषजनक नहीं पाया जाय तो यथास्थिति उसे पदोन्मुक्त अथवा अपने मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा अथवा यदि सरकार ऐसा विचार करे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा।

(घ) इस सेवा के किसी पद पर किसी व्यक्ति की स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति की अवधि सरकार द्वारा उक्त पद के लिए निर्धारित परिवीक्षा अवधि में परिगणित की जा सकेगी।

(ङ) परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर पदाधिकारी को सम्पुष्ट किया जा सकेगा बशर्ते कि उसने विहित विभागीय परीक्षा पास कर ली हो तथा सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझती हो। किन्तु यह खण्ड केवल वैसे पदाधिकारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति इस नियमावली के प्रवर्त्तन के पश्चात् हुई हो।

15. विभागीय परीक्षा।—सम्पुष्टि के पूर्व प्रत्येक पदाधिकारी के लिए निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है :—

(क) जिला नियोजन पदाधिकारी।नियोजन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति पदाधिकारी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित होगा।

(ख) कोई भी पदाधिकारी, सहायक निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति हेतु तबतक योग्य नहीं समझा जायगा जबतक कि वह सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण न हो जाय।

(ग) इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि को या उसके पश्चात् इस सेवा में नियुक्त कोई भी पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि के भीतर अपनी प्रथम वेतनवृद्धि की निकासी तबतक नहीं कर सकेंगे जबतक वह उक्त वेतनवृद्धि की तिथि के पूर्व विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो गया हो।

टिप्पणी—इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस सेवा में नियुक्त किसी पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत एवं उस समय लागू अनुदेश की परिधि के भीतर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दी जा सकेगी।

15. विभागीय परीक्षाओं के विषय एवं पाठ्यक्रम सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

16. दक्षता रोक।—(क) इस सेवा के किसी भी पदाधिकारी को उसके वेतनमान की पहली दक्षता रोक पार करने की अनुमति तबतक नहीं दी जायगी जबतक वह निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाय एवं सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि वह अपनी पदस्थिति के अनुसार कार्य सम्पादन करने में सक्षम है।

(ख) सेवा के किसी भी सदस्य को उसके वेतनमान की दूसरी दक्षता रोक पार करने की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक कि—

(i) उसका कार्य संतोषजनक न पाया जाय।

(ii) उसने अपने कार्यों में निश्चित रूप से योग्यता एवं निष्ठा न दिखायी हो।

(ग) यदि इस सेवा के किसी पदाधिकारी को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे इसकी लिखित सूचना दी जायगी।

17. वरीयता।—सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार किया जायगा।

18. सामान्य।—इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उपबंधित स्थिति को छोड़कर इस सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवक के लिए विहित समुचित नियमों, जो उस समय प्रवृत्त हों, द्वारा विनियमित की जायगी।

(सं० 1।स्थाप-2009।87—2916)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रज भूषण सहाय, सचिव।

4 फरवरी 1988

एस०ओ० 768—एस०ओ० 767, दिनांक 22 जुलाई 1988 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

(सं० 1।स्थाप-2009।87—2916ए)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रज भूषण सहाय, सचिव।

The 4th February 1988

S.O. 767, dated the 22nd July 1938.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for the regulation of recruitment and condition of service of persons appointed to the Bihar Employment Service.

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the "Bihar Employment Service Rules, 1987".

(2) They shall come into force with effect from such date as may be notified by the State Government in the Official Gazette in this behalf.

2. *Definitions.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*i*) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;
(*ii*) "Government" means the Government of the State of Bihar;
(*iii*) "Governor" means the Governor of Bihar;
(*iv*) "Member" of the service means a person appointed in a substantive or temporary capacity to a post in the service under the provisions of these rules and includes those already appointed to any of the post mentioned in clause (*i*) of rule 4.

(*v*) "Service" means the Bihar Employment Service.

3. *Status.*—The Bihar Employment Service will be a State Service.

4. *Cadre.*—(1) The Service shall consist of—

(*a*) Joint Directors (Employment),

(*b*) Deputy Directors (Employment),

(*c*) Assistant Directors (Employment),

(*d*) District Employment Officers/Employment Officers, and

(*e*) such other posts as may be created in the employment service by Government from time to time.

(2) The Government shall determine the number of posts to be created in each category of the service and may create additional permanent or temporary posts in the service or may keep in abeyance or leave unfilled any post without thereby entitling any member of the service to compensation.

PART II—RECRUITMENT

5. *Source of recruitment.*—The Officers of the Service shall be recruited—

(*a*) by direct recruitment in accordance with the rules in Part III of these rules by a competitive examination to be held by the Commission, and/or

(*b*) by promotion of officers already in Government service in accordance with the rules in Part IV of these rules.

6. *Fixation of vacancies.*—The Government shall decide in each year the number of vacancies to be filled in the different categories of the service in the year by direct recruitment and/or by promotion:

Provided that all the vacancies of Joint Directors (Employment)/Deputy Directors (Employment) and Assistant Directors (Employment) shall be filled by promotion. If, however, suitable officers are not available for promotion, any of these posts may be filled temporarily by deputation from State Services:

Provided further that vacancies of District Employment Officers/Employment Officers shall be filled by promotion and direct recruitment in the ratio of 25 : 75.

PART III—DIRECT RECRUITMENT

7. *Announcement of vacancies by the Commission.*—The Government shall communicate each year to the Commission the number of vacancies in each category of the service as specified in Rule 6 to be filled by direct recruitment on the result of the competitive examination. The competitive examination will be conducted by the Commission, and qualifications, age, etc. will be the same as are laid down by the State Government for Combined Competitive Examination. For the appointment on this post, the minimum age is 22 years and maximum age 30 years.

8. *Appointment to the service.*—The final selection of candidates for appointments, who have been recommended by the Commission under Rule 7, shall be made by the Government after such an enquiry, medical examination, etc. as may be considered necessary to ensure that the candidate is suitable in all respects for appoinment to the public service, but while doing so the appointment shall be made strictly in the same order as recommended by the Commission and no person shall be left out unless there is something positively against him to disqualify him from appointment to the public service.

PART IV—RECRUITMENT BY PROMOTION

9. (*a*) For purposes of appointment to various categories of posts in the service by promotion, selection shall be made in order of seniority, subject to the elimination of those who are unfit, from amongst persons eligible for such promotion under these rules. The promotion on the post will be given after consultation to the Commission.

(*b*) Persons holding undernoted non-gazetted posts in the Employment Wing of the Department of Labour, Employment and Training, either in substantive capacity or otherwise will be eligible for promotion in Class II posts:—

(1) Junior Employment Officers	Having at least 3 years standing as J.E.O.
(2) Research Assistants (3) Technical Assistants (4) Assistants (Selection Grade) (5) Super-Selection Grade UDC's (6) Occupational Analysists	Having at least 3 years standing in Ranks. and having at least 10 years service in Employment Wing.

15. The subjects and syllabus of the departmental examinations shall be prescribed by the Government in the Department of Labour, Employment and Training.

16. *Efficiency Bar.*—(*a*) No member of the service shall be allowed to cross the first efficiency bar of his scale of pay unless he has passed the prescribed departmental examination and the Government is satisfied that the officer is fit to perform the work ordinarily expected of an officer of his rank and status.

(*b*) No member of the service shall be allowed to cross the second efficiency-bar of his scale of pay unless—

(*i*) his work is found satisfactory,

(*ii*) he has shown definite merit and integrity in his work.

(*c*) When a member of the service has not been allowed to cross the efficiency-bar, he will be informed of in writing.

17. *Seniority.*—Seniority of officers appointed to the service shall be determined with regard to the instructions issued by the Government.

18. *General.*—Except as expressly provided by these Rules the conditions of service of persons appointed to the service shall be regulated by the appropriate rules prescribed by the State Government for Government servant in force at that time.

[I/Estt-2009/87—2916]

By order of the Governor of Bihar,
B. B. SAHAY, Secy.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।
बिहार गजट 17—लाईनो—783—1000—रा० ज० ला०